न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 17/2016 जिला दौसा

1. रामराय पुत्र गंगासहाय
2. छोट्या पुत्र गंगासहाय
3. सुरेश पुत्र गंगासहाय
4. पप्पू पुत्र गंगासहाय

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मोहनपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. भौरी लाल पुत्र रामकुंवार
2. भूरामल पुत्र रामकुंवार
3. बाबू लाल पुत्र रामकुंवार
4. मोती लाल पुत्र रामकुंवार
5. कल्याणी पत्नि रामकुंवार
6. मु. लाडा देवी पुत्री रामकुंवार

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी मोहनपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 28.6.2016 बाबत बख्शीशनामें के आधार पर रामनाथ के बजाय रामकुंवार के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 10.9.1974

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

निर्णय

दिनांक–21.5.2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 28.6.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मोहनपुरा, तहसील लालसोट, हाल तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 20 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा , खसरा नम्बर 70 रकबा 1 बीघा , खसरा नम्बर 80 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 21 रकबा 15 बीघा 14 बिस्वा किता 7 कुल रकबा 34 बीघा 9 बिस्वा का खातेदार रामनाथ पुत्र मांगी लाल था जिसके दो लडके रामकुंवार व गंगा सहाय थे । उक्त आराजी के रामकुंवार व गंगासहाय नैसर्गिम

Scanned by CamScanner

उत्तराधिकारी थे । गंगासहाय व रामकुंवार के पिता रामनाथ द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने नाम दर्ज खातेदारी भूमि 20 बीघा 19 बिस्वा का नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 10.9.74 रेस्पोंडेन्ट्स के पिता रामकुंवार के नाम जरिये बख्शीशनामा खुलवा दिया ।

रामकुंवार की विरासत के नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 10.9.74 के खिलाफ अपीलान्ट्स रामराय वगैहरा पुत्रान गंगासहाय द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की जो उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 28.6.2016 द्वारा स्व. रामकुंवार एवं गंगासहाय की मृत्यु के बाद रेस्पोंडेन्ट की नामांतरकरण संख्या 22 दिनांक 20.7.77 व नामांतरकरण संख्या 43 दिनांक 23.11.92 के विरूद्ध अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर में जेरकार होने से उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की है ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 28.6.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 28.6.2016 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता उपस्थित । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं हुये । वकील अपीलार्थी लिखित बहस प्रस्तुत करना चाहते हैं जिस पर अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता को दिनांक 21.5.2019 से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु कहा गया , लेकिन अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत नहीं की गई ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदार रामनाथ के जीवनकाल में उसकी 34 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से 20 बीघा 19 बिस्वा भूमि का नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 10.9.74 जरिये बख्शीशनामा ग्रम पंचायत द्वारा रामनाथ के स्थान पर रेस्पोंडेन्ट्स के पिता रामकुंवार के नाम तस्दीक किया है । जिसके खिलाफ अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति कि रामनाथ के दो पुत्र गंगासहाय एवं रामकुंवार थे इसलिये उनके पिता की पैतृक सम्पत्ति गंगासहाय व रामकुंवार के नाम हिस्सा बराबर बराबर होनी चाहिये थी । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.6.2016 द्वारा स्व. रामकुंवार एवं गंगासहाय की मृत्यु के बाद रेस्पोंडेन्ट की नामांतरकरण संख्या 22 दिनांक 20.7.77 व नामांतरकरण संख्या 43 दिनांक 23.11.92 के विरूद्ध

Scanned by CamScanner

अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर में जेरकार होने से उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार रामनाथ के दो पुत्र गंगासहाय एवं रामकुंवार थे । अपीलान्ट्स गंगासहाय के एवं रेस्पोंडेन्ट्स रामकुंवार के वारिसान है । विवादित भूमि 34 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार रामनाथ के जीवनकाल में ही उक्त भूमि में से 20 बीघा 19 भूमि का नामांतरकरण संख्या 18 दिनांक 10.9.74 जरिये बख्शीशनामा ग्राम पंचायत काल्यावास से रेस्पोंडेन्ट्स के पिता रामकुंवार के नाम तस्दीक हुआ है जिसके खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही केवल स्व. रामकुंवार एवं गंगासहाय की मृत्यु के बाद रेस्पोंडेन्ट की नामांतरकरण संख्या 22 दिनांक 20.7.77 व नामांतरकरण संख्या 43 दिनांक 23.11.92 के विरूद्ध अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर में जेरकार होने से उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को नहीं होने से खारिज की है । हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 18 गग्रम पंचायत काल्यावास द्वारा दिनांक 10.9.1974 को तस्दीक हुआ है और गग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण की प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार विधिक रूप से उप खण्ड अधिकारी को है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को नहीं होने से अपीलाधीन आदेश द्वारा अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में विधिक नहीं होने से निरस्तनीय है । हम समझते हैं कि किसी भी हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति को बिना सुने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उनके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं न्यायिक नहीं ठहराया जा सकता । अतः प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ प्रथम अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अधिनस्थ न्यायालय को होने व सामान्य न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में प्रभावित एवं हितबद्ध उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक होने से प्रकरण उप खण्ड अधिकारी लालसोट को उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 28.6.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को

चित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जयपुर

Scanned by CamScanner